Dr.Uttam Kumar SRAP College,Barachakia Mob no-8210561032

Faculty -Commerce **Subject - Business Organisation** Class -2nd Semester Session-2023-27

सीमित देयता साझेदारी

(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP OR LLP

सीमित देयता साझेदारी अधिनियम, 2008 (Limited Liability Partnership Act, 2008) के अनुसार सीमित देयता साझेदारी अधिनियम, 2008 (Limited Liability Partnership Act, 2008) के अनुसार सीमित साझेदारी व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जिसका निर्माण इस अधिनियम के अधीन किया गया है तथा जिसका पृथक के असितत्व अपने सदस्यों से पृथक होता है। सीमित देयता साझेदारी की निम्निलिखित विशेषताएँ हैं—

(1) इसका निर्माण सीमित देयता अधिनियम, 2008 (LLP Act, 2008) के अधीन किया जाना चाहिए। (2) यह एक निगमित बॉडी (Corporate Body) है जिसका अपना अस्तित्व होता है तथा जो इसके सदस्यों से

(2) यह एक निगामत बाडा (Corporate Body) होता है। (3) इसका अपना निरन्तर उत्तराधिकार (Perpetual Succession) होता है। इसके सदस्यों के परिवर्तन से इसके अस्त्र

अधिकार एवं देनदारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(4) इसके निर्माण के लिए कम-से-कम दो व्यक्ति होने चाहिए। जिनमें से एक का भारत का निवासी होना अनिवार्य

(5) इसके सदस्य/साझेदारों की अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं होती।

(6) एक व्यक्ति (Individual) एवं निगमित बॉडी (Body/Corporate) इसमें सदस्य हो सकती है।

(7) इसका पंजीकरण (Registration) कराना अनिवार्य है।

(8) इसे अपने खाते दौहरा लेखा प्रणाली (Double Entry System) के अनुसार रखने अनिवार्य हैं एवं उनकी ह

(9) इसकी तथा इसके सदस्यों की देयता (Liability) सीमित होती है।

(10) प्रत्येक सीमित दायित्व साझेदारी को प्रत्येक वित्त वर्ष में निश्चित फार्म पर अपनी देयता रिपोर्ट (Solvency Report) रिजस्ट्रार को खातों के विवरण के साथ भेजनी होती है। सीमित देयता साझेदारी के गुण (Merits of Limited Liability Partnership)

(1) इसमें निरन्तर उत्तराधिकार की प्रवृत्ति पाये जाने के कारण स्थिरता (Stability) होती है।

(2) इसमें सीमित देनदारी (Limited Liability) का गुण पाया जाता है।

(3) इसमें निगमित बॉडी (Body Corporate) होने का गुण पाया जाता है।

(4) इसमें व्यक्ति (Individual) एवं निगमित बॉडी भी साझेदार बन सकती है।

(5) क्योंकि इसमें देयता सीमित होती है एवं सदस्यों की अधिकतम संख्या सीमित नहीं है, अत: यह अधिक पूँवी एकत्रित कर सकती है।

सीमित देयता साझेदारी के अवगुण (Demerits of Limited Liability Partnership)

(1) इसका पंजीकरण (Registration) क्याना अनिवार्य है जिसमें समय एवं खर्चा करना पड़ता है।

(2) इसे वैधानिक नियमों (Statutory Regulation) का पालन करना पड़ता है जिस कारण इसमें लोचता की कमी (Flexibility in Operation) रहती है।

(3) क्योंकि इसे अपने खातों की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के पास भेजनी होती है अत: व्यवसाय के भेद गुप्त नहीं रखे ज

सकते।

(4) इसकी सीमित देनदारी होने के कारण इसकी साख (Credit Standing) कम होती है।

निष्कर्ष —सीमित देयता साझेदारी (LLP) व्यावसायिक संगठन का एक उत्कृष्ट रूप (Hybrid form) है जिसमें साझेदारी एवं संयुक्त स्कन्ध कम्पनी दोनों की विशेषताएँ पाई जाती हैं।

सीमित देयता साझेदारी सामान्य साझेदारी से बेहतर क्यों है ? (WHY LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP !)

साझेदारी तथा सीमित देयता साझेदारी में अन्तर

(DISTINCTION BETWEEN PARTNERSHIP AND LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

(1) सीमित देयता साझेदारी साझेदारी से बेहतर है क्योंकि इसमें किसी साझेदार की मृत्यु इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता।

(2) सीमित देयता साझेदारी साझेदारी की तुलना में अधिक स्थिर होती है क्योंकि इसका अपना अलग अस्तित्व होता है।